<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बड़वानी</u> <u>समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय</u>

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 660 / 2012 संस्थित दिनांक— 18.12.2012

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र—ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.<u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

राजु पिता चुनीया भील (वास्कले), उम्र 35 वर्ष, निवासी घटवा बैडी

.....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	– श्री आर के श्रीवास अधिवक्ता ।

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 21/03/2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 230/2012 के आधार पर दि. 12.11.2012 को शाम के लगभग 7:00 बजे घटना बैडी आम रास्ता फरियादी के मकान के सामने फरियादी हीरालाल को धारदार उपकरण दराते से बांये हाथ की हथेली में मारकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित करने के संबंध में भा.द.वि. की धारा 324 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी हीरालाल अभियुक्त को जानता है। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। । प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण विचारण के दौरान फरियादी द्वारा राजीनामा किये जाने के आधार पर आरोपी राजु पिता चुनीया को भा.द.वि. की धारा 294, 506 भाग—2 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भा.द.वि. की धारा 324 का अपराध अशमनीय प्रकृति का होने से उक्त धारा में निर्णय किया जा रहा है।
- 3— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.12 को फरियादी हीरालाल ने थाना ठीकरी पर आकर अभियुक्त के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह घटवा बैड़ी पर रहकर मजदूरी करता है, आज शाम 7:00 बजे के लगभग उसके बच्चे के साथ पटाखे फोड़ रहा था तभी राजु पिता चुनिया भील, निवासी घटवा बैडी का आया और उसके बच्चे को बोला कि पटाखे मत फोड़ो तो उसने बोला कि बच्चे पटाके फोड़ रहे है, उनको तु मना क्यो करता है, इस पर राजु ने उसे मां बहन की अश्लील गालियां दी, उसने गालियां देने से मना किया तो राजु अपने घर गया और दराता लेकर आया तथा उसे दराता बांये हाथ की हथेली में मारकर चोट

पहुंचाई। घटना अमरलाल, मैदाबाई, अंतिम ने देखी और बीच बचाव किया तो राजु बोला कि आज तो बच गया किसी दिन काट डालूंगा, जान से खत्म कर दूंगा कहकर चला गया, उसे चोट होने से रिपोर्ट करता है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 230/12 में दर्ज कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग—पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— अभियोग—पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व भा.द.वि. धारा 324 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है ।

5— प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि –

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दि. 12.11.2012 को शाम के लगभग 7:00 बजे ६ ाटना बैडी आम रास्ता फरियादी के मकान के सामने फरियादी हीरालाल को धरदार उपकरण दराते से बाये हाथ की हथेली में मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

6— अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी हीरालाल (अ. सा.1) एवं साक्षी स.उ.नि. ओ..पी यादव (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न कमांक 1,2 का निराकरण :-

7— उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फिरयादी हीरालाल (अ.सा.1) का केवल इतना कथन है कि उसने लगभग 3 वर्ष पहले अभियुक्त द्वारा उसे मां बहन की अश्लील गालियां देने के संबंध में थाना ठीकरी पर रिपोर्ट करने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि पुलिस ने घटना के संबंध में उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया था तथा पुलिस को उसने प्रदर्श पी 2 का घटना स्थल बताया था। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घेषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका एवं अभियुक्त के मध्य पटाखे फोड़ने की बात को लेकर विवाद हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अभियुक्त ने उसे बांये हाथ की हथेली में धारदार दराता मार दिया था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह गिर गया था तब उसके हाथ की हड्डी पर जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर लग गया था। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी 3 के पुलिस कथन में ए से ए भागों वाली बात लिखाने से भी

इंकार किया है।

- 8— बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसके हाथ में दराता नहीं मारा था तथा उसने पुलिस को अभियुक्त द्वारा दराता मारने वाली बात भी नहीं बताई थी, यदि पुलिस ने दराता मारने वाली बात उसकी प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी 3 के कथन में लिख ली हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, पुलिस ने रिपोर्ट उसे पढ़कर नहीं सुनाई, उसने पुलिस को अरोपी द्व ारा दराता मारने की बात प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में तथा प्रदर्श पी 3 के कथन में नहीं बताई थी।
- 9— ओ.पी. यादव (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 12.11.12 को थाने के अपराध क. 230 / 12 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी हीरालाल की निशांदेही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 का बनाने, साक्षी हीरालाल, अमरसिंह, अंतिम मैदाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने,तथा अभियुक्त राजु के पेश करने पर एक लोहे का दाराता पुराना इस्तेमाली साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी 3 के अनुसार जप्त करने तथा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत केस डायरी थाना प्रभारी के सुपूर्व करने के संबंध में कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जो दराता जप्त किया गया है, उस तरह का दराता गांव में सभी लोगो के यहां रहता है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह घटना स्थल पर नहीं गया था अथवा उसने नक्शा मौका पंचनामा थाने पर बैठकर बना लिया अथवा असत्य रिपोर्ट दर्ज की है।
- 10— राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थित में जबिक प्रकरण का फरियादी स्वयं पक्ष विरोधी रहा है और उसने अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किये है तथा उनसे राजीनामा होना स्वीकार किया है तो फरियादी स्वयं के कथनों के आधार पर आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध के लिये दोसषिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 324 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।
- 11— अतः आरोपी राजु पिता चुनीया भील (वास्कले), उम्र 35 वर्ष, निवासी घटवा बैडी को भा.द.वि. की धारा 324 के अंतर्गत अपराध के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 12— अभियुक्त अभिरक्षा में है उसका रिहाई आदेश जारी हो।
- 13— अभियुक्त के द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के

प्रमाण-पत्र बनाये जाए ।

14— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का दराता मूल्यहीन होने से, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नष्ट किया जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

—सही—
(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

—सही— (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड्, जिला—बड़वानी, म.प्र.